बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 186

कर कटौती के बाद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कॉर्पोरेट कर दर में कमी कर सबको चौंका दिया। किसी तरह की रियायत नहीं ले रहीं भारतीय कंपनियां अब 22 फीसदी कर चुका सकती हैं। बड़ी कंपनियों के लिए अधिभार और उपकर समेत प्रभावी दर को 34.94 प्रतिशत से कम करके 25.17 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा जो कंपनियां अक्टूबर में या उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में आ रही हैं और 31 मार्च, 2023 तक उत्पादन शुरू कर रही हैं, उनके पास विकल्प होगा कि वे 17.01 फीसदी की प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर चुकाएं।

सरकार ने शेयरों की पुनर्खरीद करने वालों के लिए भी राहत बढ़ाई और पूंजीगत लाभ पर बढ़ा हुआ अधिभार वापस लिया लेकिन कॉर्पोरेट कर दर में कमी बीते कई वर्षों में प्रत्यक्ष कर में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। इसके कई लाभ हैं। मिसाल के तौर पर इससे रुझान में भारी सुधार होगा। शेयर बाजार में बीते एक दशक की सबसे बड़ी तेजी के रूप में हम इसका उदाहरण भी देख चुके हैं। बाजार को अब यकीन है कि सरकार साहसी आर्थिक निर्णय ले सकती है। दूसरा, कर दर कम होने से कंपनियों के पास नकदी ज्यादा होगी और निवेश बढ़ेगा। तीसरा, दरों में कमी से इतर यह प्रत्यक्ष कर ढांचे को सहज और सुसंगत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम भी है। चौथा, कराधान की प्रतिस्पर्धी दर देश को निवेश केंद्र के रूप में आकर्षक बनाएगी। खासतौर पर तब जबकि कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम और थाईलैंड में कर दर 20 फीसदी है जबकि इंडोनेशिया में यह 25 फीसदी है।

बड़ा सवाल यह है कि कॉर्पोरेट कर दर में कमी निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाएगी या नहीं। कर कटौती के कारण करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी। निकट भविष्य में कम कर दर के कारण कंपनियों को कीमत कम करने और एक हद तक मांग बहाल करने में मदद मिलेगी। हालांकि अगली कुछ तिमाहियों तक वृद्धि में सुधार होता नहीं दिखता। देखना होगा कि सरकार राजकोषीय प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है। अधिकांश अर्थशास्त्री मानते हैं कि कॉर्पोरेट कर कटौती से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4 फीसदी तक पहुंच जाएगा। कर संग्रह में वृद्धि नहीं हो रही है और अब राजस्व लक्ष्य हासिल करना असंभव है। कर कटौती ने राजकोषीय स्थिति को जटिल बना दिया है। बॉन्ड बाजार का व्यवहार तो यही बता रहा है। कम कर संग्रह के कारण राज्यों के हिस्से पर भी असर होगा और वे भी दबाव महसूस करेंगे।

ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों के राजकोषीय घाटे में इजाफा संभव है। सरकार तंत्र में जमा राशि का इस्तेमाल करेगी और ब्याज दरों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर होगा। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक अक्टूबर में नीतिगत दरों में कटौती करेगा, उच्च सरकारी घाटे के कारण पारेषण बाधित होगा। बॉन्ड प्रतिफल को खुले बाजार की गतिविधियों के जरिये नियंत्रित करने की कोशिश भी मुद्रास्फीति को लक्षित करने की दृष्टि से असंगत होगा। चूंकि बजट के आंकड़े प्रासंगिकता खो चुके हैं, इसलिए सरकार अगर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का नया ढांचा पेश करे तो बेहतर होगा। इससे तंत्र में भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी। मौद्रिक नीति समिति को भी इससे बेहतर कदम उठाने में मदद मिलेगी। तमाम राजकोषीय आशंकाओं से इतर सरकार को कर कटौती के निर्णय के साथ-साथ अन्य ढांचागत सुधारों को भी अंजाम देना चाहिए। मिसाल के तौर पर भूमि एवं श्रम सुधार। ऐसा करके ही कारोबारी सुगमता बढ़ाई जा सकेगी और देश को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा।

अजय मोहंती

मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की

लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था मोदी के समक्ष बड़ी चुनौती है। वह इसकी उपेक्षा कर शीर्ष पर बने रह सकते हैं या सुधार कर अपनी छवि और चमका सकते हैं

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

बीते तमाम वर्षों के दौरान मैं ऐसे कई देशों की यात्राएं करता रहा हूं और खबरें लिखता रहा हूं जहां के नागरिकों को अपने शासकों के खिलाफ बोलने की उतनी आजादी नहीं है जितनी एक लोकतांत्रिक देश में होनी चाहिए। इस बात ने मुझे एक अहम सबक सिखाया: कठिन समय में लोगों में हास्यबोध और विडंबना का आभास बढ़ जाता है। शायद हिचक और डर उनकी रचनात्मकता बढ़ा देते हैं। सोवियत संघ के दौर में सबसे अच्छे चुटकुले मॉस्को की सड़कों और दुकानों पर सुनने को मिलते थे, भले ही कानाफूसी के रूप में। जो कल कानाफूसी थी वह आज, व्हाट्सऐप फॉरवर्ड है। चूंकि किसी को पता नहीं होता कि चुटकुला सबसे पहले किसने बनाया, इसलिए गुमनाम बने रहने में भलाई है। इन दिनों आ रहे चुटकुले अर्थव्यवस्था पर केंद्रित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.45 लाख करोड़ रुपये मूल्य की कर राहत जरूर दी है लेकिन उनके बजट की हकीकत सामने आती जा रही है।

मुझे मोदी सरकार और उसकी खस्ता आर्थिकी पर जो चुटकुले और मीम प्राप्त हुए (जो शायद आपको भी मिले होंगे) उनमें से एक महाराजा और उनके प्रिय हाथी के बारे में था। हुआ यह कि हाथी बुरी तरह बीमार पड़ गया। महाराजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कोई उन्हें हाथी के निधन की सूचना देगा, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।

हाथी की मृत्यु हो गई लेकिन किसी में यह साहस नहीं था कि महाराजा को बताए। आखिरकार, महावत ने साहस जुटाया और कांपता हुआ महाराजा से बोला कि हाथी न खा रहा है, न उठ रहा है, न सांस ले रहा है और न ही कोई हरकत कर रहा है।

महाराज ने पूछा, 'तुम कहना चाहते हो कि मेरा हाथी मर गया?'

दहशतजदा महावत ने कहा, 'महाराज यह तो आप कह रहे हैं।'

चुटकुला इस ओर इशारा करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था वही हाथी है। तमाम मंत्री अपनी-अपनी तरह से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथी मर चुका है लेकिन कोई इसकी स्पष्ट घोषणा नहीं करना चाहता। मार्क ट्वेन के शब्द उधार लें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के निधन की खबरें बढ़ाचढ़ाकर पेश की गई हैं लेकिन यह गहन रूप से बीमार तो है ही। बाजार अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। जून से करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति बाजार से बाहर जा चुकी है। सरकार ने सरकारी बैंकों को नई पूंजी की जो पहली किस्त दी थी उसका भी सफाया होता दिखता है। इकलौती अच्छी खबर मुद्रास्फीति के मोर्चे पर है लेकिन अब वह इतनी कम है कि हालत डांवाडोल नजर आ रही है। सरकार की प्रतिक्रिया को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पहली, यह सब अफवाह है और मोदी विरोधियों द्वारा फैलाई गई है। दूसरी प्रतिक्रिया यह है कि वित्त मंत्री एक और संवाददाता सम्मेलन करके कुछ अन्य घोषणाएं करें। पिछली बार उन्होंने बिना कोई योजना बनाए बड़ी कर रियायत घोषित की। बाजार कुछ दिन इसका जश्न मनाएंगे लेकिन जब तक सरकार अपने खर्च में कटौती करने का साहस नहीं दिखाती, तब तक यह धनराशि या तो अधिक नकदी छापकर आएगी या गरीबों पर अप्रत्यक्ष कर लगाकर। इससे संकट और बिगड़ेगा।

तीसरी और सबसे महत्त्वपूर्ण बात इस सोच से निकली है कि मोदी पहले पिछले 70 सालों की बड़ी चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसकी शुरुआत समान आचार संहिता, तीन तलाक को आपराधिक ठहराने और अनुच्छेद 370 हटाने से हुई और नवंबर तक राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। तर्क यह है कि इन कठिन लेकिन जरूरी काम पूरा करने के बाद मोदी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे और आप जानते हैं कि जब वह ऐसा करते हैं कुछ भी संभव है। यहां तक कि 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करना भी। मैं यही आशा और प्रार्थना कर सकता हूं कि यह सब सही साबित हो। एक अन्य नजरिया यह है कि शायद निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था की हालत में नाटकीय सुधार न आए। परंतु जैसा कि हमने गत वर्ष मई में इसी स्तंभ में कहा था, चूंकि मोदी को अपार लोकप्रियता हासिल है तो वे इससे भी पार पा लेंगे। उनके लिए उनके मतदाता त्याग करेंगे।

इस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसी महीने चंडीगढ़ में मुझसे और मेरे सहयोगी चितलीन सेठी के साथ बातचीत में स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रवाद का उभार होता है तो जनता प्रसन्नतापूर्वक आर्थिक बलिदान देती है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रवाद इतना मजबूत हो तो कोई झटका भी एकजुट करने वाला कारक बन जाता है। उदाहरण: कैसे पूरा देश चंद्रयान-विक्रम की लैंडिंग देखने के लिए 2 बजे रात तक जागता रहा और लैंडिंग नाकाम रहने पर भी सब एकजुट नजर आए। तात्पर्य यह कि ऐसी घटनाएं और सुर्खियां लोगों को और मोदी की लोकप्रियता को ऊपर बनाए रखेंगी, भले ही अर्थव्यवस्था जूझ रही हो। मोदी के इस निरंतर उभार ने पारंपरिक राजनीतिक चिंतन को ध्वस्त कर दिया है। देश ने नोटबंदी जैसी गलती के लिए भी उन्हें माफ कर दिया। रोजगार की हालत खस्ता है लेकिन इसका असर चुनावों में उनके प्रदर्शन पर नहीं पड़ा। चुनाव के दौरान किए भ्रमण में अनेक लोग मिले जो गरीब थे और कष्ट सह रहे थे लेकिन उनके लिए यह देशहित में किया गया छोटा सा त्याग था।

बहुत संभव है कि ऐसे लोगों का स्नेह मोदी पर बरकरार रहे। सुर्खियों का प्रबंधन, समझदारी से तैयार की गई नई योजनाएं मसलन नल से जल और आयुष्मान भारत आदि के साथ उनकी पहले से सफल एलपीजी, शौचालय, ग्रामीण आवास और मुद्रा ऋण जैसी योजनाएं मददगार साबित होंगी। परंतु एक उलझाऊ बात है।

अपने पहले कार्यकाल में धीमी वृद्धि दर के बावजूद वह इन योजनाओं को धन देने में सफल रहे। साढ़े चार वर्ष में मिले 11 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ने इसमें मदद की। अब बिना वृद्धि के अतिरिक्त राशि का प्रबंध मुश्किल होगा। यदि कच्चा तेल महंगा होता है तो यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।

दक्षिणपंथी समाजवाद या सामाजिक लोकलुभावनवाद अब दुनिया पर काबिज है। आप कर लगाते, व्यय करते, वितरण करते हुए जीतते रह सकते हैं। यदि वृद्धि ढह जाती है या जैसा कि टीएन नाइनन ने कुछ दिन पहले इसी अखबार में चेतावनी दी थी, सन 1980 के स्तर पर रुक भी जाती है तो किस पर कर लगाया जाएगा? बजट ने पूंजीगत लाभ कर पर कर लगाया और सूचीबद्ध कंपनियों की शेयर पुनर्खरीद पर भी।

इससे पहले यदि किसी नेता को ऐसी लोकप्रियता मिली थी तो वह थीं इंदिरा गांधी। सन 1972 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वह लोकप्रियता के चरम पर थीं। वह कोई गलती नहीं कर सकती थीं। उन्होंने वाम रुझान लेते हुए कई बड़ी आर्थिक गलतियां कीं। ये सारी योजनाएं उस वक्त गरीबों में लोकप्रिय हुईं और अमीरों को नुकसान भी पहुंचाया। शायद इस दलील ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को भी प्रभावित किया है क्योंकि प्रभावी कर 42.7 फीसदी हो चुका है। हर कोई जानता है कि इससे थोड़ा अधिक राजस्व हासिल होगा। कर संग्रह में कमी आ रही है लेकिन अमीर नाराज हैं और शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में गरीबों को खुश होना चाहिए। जो बात सन 1969-73 में इंदिरा के लिए कारगर रही वह इस बार भी सही साबित होनी चाहिए।

याद रहे कि सन 1969-73 में सब सही करने वाली इंदिरा सन 1974 के मध्य तक सब गलत करने लगीं। उनके राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयकरण ने अर्थव्यवस्था को बरबाद कर दिया। सोवियत संघ से प्रभावित सलाहकारों की बात सुनकर अनाज कारोबार का राष्ट्रीयकरण कर उन्होंने भारी चूक की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई और इस कदम को वापस लेना पड़ा। इसकी तुलना मोदी सरकार के 1.45 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट कर को बट्टे खाते में डालने से करें तो यह हड़बड़ाहट दिखाता है।

इंदिरा गांधी का जबरदस्त पराभव हुआ। अरब-इजरायल के बीच योम किप्पूर की जंग, उसके बाद ओपेक का शुरू होना और तेल कीमतों को झटका भी उनके लिए गलत समय पर आया। सन 1974 के मध्य तक वह हारी लड़ाई लड़ रही थीं। पोकरण-1 या सिक्किम का विलय भी आत्मत्यागी राष्ट्रवाद को जगा न सका। उस वक्त बेरोजगारी हद से अधिक बढ़ चुकी थी और मुद्रास्फीति की दर 30 फीसदी का स्तर पार कर चुकी थी।

मोदी जैसा नेता शायद सदियों में एक बार होता है, वह इतिहास को भी बदल देंगे या फिर जैसा उनके वफादार कहते हैं वह अर्थव्यवस्था की कमान अपने हाथ में लेकर चमत्कार कर देंगे। हम आशा करते हैं कि यह दूसरी वाली बात हकीकत निकले।

संवैधानिक अदालत बन गया उच्चतम न्यायालय

अदालती आईना

एम जे एंटनी

मौजूदा न्यायाधीशों के पास कंप्यूटर की सुविधा है और साथ ही तेजी से फैसला सुनाने के लिए प्रशिक्षुओं से भी मदद मिलती है। आने वाले दिनों में इसमें कृत्रिम मेधा का भी सहारा लिया जाएगा।

पिछले कुछ हफ्तों ने सर्वोच्च न्यायालय को एक तरह से संवैधानिक अदालत बना दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुआई में पांच न्यायाधीशों का एक पीठ अदालत संख्या 1 में अयोध्या मामले पर सुनवाई कर रहा है और जल्दी ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है। अगले महीने एक अन्य पीठ जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अगर इस तरह एक के बाद एक संवैधानिक रूप से संवेदनशील मामलों का निपटारा होता रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय की इमारत के गलियारों में पड़ी सैकड़ों अलमारियों में रखी फाइलें गायब हो जाएंगी।

संवेदनशील मामलों पर सुनवाई में आई इस तेजी की वजह राजनीतिक माहौल हो सकता है लेकिन कुछ लोग यह इशारा भी करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जो भी कारण हो, भविष्य में संवैधानिक मामलों की छोटी सुनवाई ही आदर्श होनी चाहिए। अयोध्या मामले ने दिखा दिया है कि जटिल मामलों का तय समयसीमा के भीतर फैसला करना संभव है। इस मामले में आठ भाषाओं में मौजूद करीब 20,000 पृष्ठों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फिर भी इस मामले का दो महीने में पटाक्षेप हो जाएगा। इसके उलट केशवानंद भारती मामले में सात महीने का समय लगा और तीन न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में हरेक में चार महीने का समय लगा। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में हरेक पक्ष को केवल आधे घंटे का समय मिलता है और उसके बाद लाल बत्ती जलती है।

मौजूदा न्यायाधीशों के पास कंप्यूटर की सुविधा है और साथ ही तेजी से फैसला सुनाने के लिए प्रशिक्षुओं से भी मदद मिलती है। आने वाले दिनों में इसमें कृत्रिम मेधा का भी सहारा लिया जाएगा। सिद्धांत रूप में ही सही, सर्वोच्च न्यायालय में एक शोध प्रकोष्ठ भी है। इसलिए संवैधानिक मामलों में उतना समय नहीं लगना चाहिए जितना पुराने समय में लगता था।

जब 1958 में सर्वोच्च न्यायालय को मौजूदा इमारत में हस्तांतरित किया गया था तो एक कक्ष में केवल आठ न्यायाधीश ही बैठा करते थे। वे संवैधानिक मामलों में बिना समय गंवाए फैसला देते थे। अब न्यायाधीशों के मंजूर पदों की संख्या बढ़कर 34 पहुंच चुकी है और उनमें से 30 न्यायाधीश 14 कक्षों में बैठते हैं। यह संविधान पीठ के कुछ पुराने मामलों को निपटाने का अभूतपूर्व मौका है।

हालांकि यह काम कतई आसान नहीं है। 250 से अधिक संवैधानिक मामलों को पांच न्यायाधीशों के पीठों को सौंपा गया है। इनमें से कुछ 1992 से ही अंतिम सुनवाई के लिए तैयार हैं। इनमें बेहद जटिल सवाल जुड़े हैं जैसे 1975 में आपातकाल के दिनों में हुए संवैधानिक संशोधनों के बाद संपत्ति का अधिकार और औद्योगिक विवाद अधिनियम में उद्योग की परिभाषा। ग्यारह मामले सात न्यायाधीशों के पीठों के हवाले किए गए। इनमें विधायिका को मिले विशेषाधिकार बनाम मीडिया की आजादी का मामला शामिल है। नौ न्यायाधीशों के पीठों को 132 मामलों पर फैसले देने हैं। इस तरह संविधान पीठ का हर समय काम करना जरूरी है। न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या को देखते हुए यह असंभव नहीं है।

कई न्यायविदों की दलील है कि सर्वोच्च न्यायालय को केवल कानून की व्याख्या से जुड़े सवालों पर ही सुनवाई करनी चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में जो फैसले आए हैं उनमें से अधिकांश बंटवारे, प्रोन्नति, किराये या सामान्य अपराधों से जुड़े हैं। इनका फैसला कोई अपील अदालत भी कर सकती थी और इनका बोझ सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं डाला जाना चाहिए। इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में यह नामुमकिन नहीं है। आखिर हमारे संविधान में 125 बार बदलाव किया जा चुका है और यह लोकतांत्रिक दुनिया में सबसे ज्यादा संशोधनों वाला संविधान है।

उच्चतम न्यायालय से अलग अपील अदालत गठित करने का एक फायदा यह है कि ऐसी अदालतों को देश के विभिन्न हिस्सों में गठित किया जा सकता है। दक्षिण और पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायत रही है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना बेहद खर्चीला और थकाऊ है। कई लोग अपील करने के अपने अधिकार को केवल इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि दिल्ली से इन राज्यों की दूरी बहुत ज्यादा है। कई विधि आयोग इसकी सिफारिश कर चुके हैं लेकिन न्यायाधीश लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। उनकी दलील है कि ऐसा करने से सर्वोच्च न्यायालय का एकात्मक चरित्र खत्म हो जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से अपील पर सुनवाई का अधिकार लेने और उसे केवल संवैधानिक सवालों पर सुनवाई तक सीमित रखने से उसके कामकाज में सुधार आएगा। इससे न्यायालय का सम्मान भी बढ़ेगा। इन सुधारों में अड़ंगा लगाने के बजाय न्यायाधीशों को खुद ही इन पर पहल करनी चाहिए। इस बीच, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में एक स्थायी संविधान पीठ स्थापित करना चाहिए, तब नहीं जब राजनीतिक दबाव असहनीय हो जाता है।

कानाफूसी

कौन बनेगा मुख्यमंत्री?

क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेताओं के बीच सत्ता से जुड़ा संकट उत्पन्न हो गया है? प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान सुनकर तो यही लगता है। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कप्तान (नीतीश कुमार) बदलने का कोई सवाल ही नहीं है और वह 2020 में भी राजग के जहाज के कप्तान बने रहेंगे। दिक्कत यह है कि उनके इस बयान से पार्टी के ही कई नेता खफा हो गए हैं। इन नेताओं को लग रहा है कि मोदी ऐसा बयान देकर मुख्यमंत्री बनने की उनकी संभावनाएं समाप्त कर रहे हैं। उनका यह सोचना सही हो सकता है। सुशील मोदी समझदार नेता हैं लेकिन अपनी ही पार्टी में लोग उन्हें पसंद नहीं करते। कम से कम मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के रूप में तो कतई नहीं। मिसाल के तौर पर सीपी ठाकुर ने मोदी का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार का चयन पार्टी नेतृत्व करेगा और यह मोदी का विशेषाधिकार नहीं है। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को केंद्र में बुला लिया जाए। ऐसे नेताओं में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रमुख दलित नेता संजय पासवान और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी शामिल हैं। इन सब बातों के बीच नीतीश कुमार भी घटनाओं पर निगाह जमाए हुए हैं।

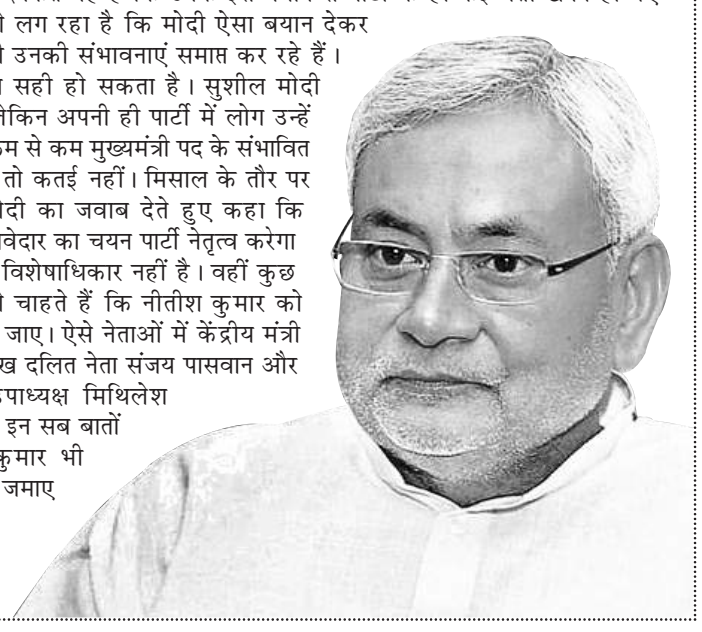

आपका पक्ष

कौशल-विकास से अर्थव्यवस्था में तेजी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक भारत को पांच अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में जरूरी कौशल से लैस श्रम की आवश्यकता होगी। कौशल युक्त श्रम के जरिये विकास दर की रफ्तार तेज की जाएगी। भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी है। आज बड़ी चुनौती युवा आबादी को फायदे में तब्दील करने की है। ऐसा करने के तरीके हैं। पहला माध्यम शिक्षा है। इसके तहत उच्च शिक्षा का विस्तार और ज्यादा से ज्यादा छात्र-छात्राओं को वास्तु विज्ञान, कानून, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और अन्य खास कोर्स में दाखिला कराया जा सकता है। दूसरा रोजगार के लिए कौशल विकास है। इसके तहत वैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। तीसरी चीज कौशल में बढ़ोतरी है। उन लोगों में नए कौशल का विकास करना और उनका कौशल

बेहतर करना जो शिक्षित हैं, काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं। एनएसएस रिपोर्ट 2011-12 के आधार पर भारत के कुल कार्यबल में सिर्फ 2.3 फीसदी के पास संगठित क्षेत्र से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण है। पिछले पांच साल में व्यापक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। इसी दिशा में नवंबर 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। कौशल से जुड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र तैयार किया गया है, वह ऐसी कंपनियों की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है, जिन्हें सही लोगों की नियुक्ति में मुश्किल पेश आती है। संबंधित रोजगार के लिए लोगों में उचित योग्यता विकसित कर, इसके लिए मंजूरी हासिल कर और सही व्यक्ति के प्रशिक्षण अर्थात कौशल और भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण साझेदार के साथ काम कर इस तरह चुनौतियों से निपटा जा सकता है। जब देश के युवा कौशल से युक्त होंगे तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। इससे निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर पांच अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं।

कौशल विकास से युवा श्रम शक्ति बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो सकेगी

सूर्यभानु बांधे, रायपुर

मूर्ति विसर्जन के लिए नए तरीके

पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। वह मूर्ति विसर्जन को लेकर काफी चिंतित है। मूर्ति विसर्जन से नदियां दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही हैं। देश में मूर्ति विसर्जन का तरीका सही नहीं है। नदियों में पहले से ही गंदगी भरी पड़ी है। इसके बावजूद हम मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन के दौरान दुखद घटनाएं होती हैं। अत: मूर्तियों के विसर्जन के लिए हम सभी को वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने की जरूरत है। सरकार को मूर्ति विसर्जन के लिए नया तरीका लाना होगा। इसके लिए खाली स्थान पर खुदाई कर उसमें पानी डालने का प्रबंध करना चाहिए जिसमें मूर्तियां आसानी से विसर्जित हो सकें। सरकार के साथ-साथ हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि नदियों में विसर्जन ना करें और एक दूसरे को भी सलाह देने की आवश्यकता है जिससे नदियों का पानी दूषित होने से बचाया जा सकता है।

राजू, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।